न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 13/2023

जीसीएमएस : 2023/383

1. संतरो देवी पत्नी श्री प्रभुराम जाति कुम्हार साकिन 32 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.। –अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. सरपंच ग्राम पंचायत जगतसिंहवाला पं.स. रायसिंहनगर।
2. अन्जू पुत्री श्री स्व. जगतपाल जाति जाट साकिन 31 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
3. पियूष गोदारा पुत्र श्री स्व. जगतपाल जाति जाट साकिन 31 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
4. मोनिका पुत्री श्री स्व. जगतपाल जाति जाट साकिन 31 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
5. सरोज पत्नी श्री स्व. जगतपाल जाति जाट साकिन 31 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
6. सीमा पुत्री श्री स्व. जगतपाल जाति जाट साकिन 32 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रायसिंहनगर ।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट</u> रजू दिनांक 12.12.2023

उपस्थिति :–
1.श्री रणजीतसिंह सोनी ,अधिवक्ता अपीलांट
2. रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 6 अनुपस्थित। दिनांक :– 30.06.2025

–: **<u>निर्णय</u>** :–

01. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 के पति/पिता जगतपाल पुत्र श्री काशीराम के नाम से चक 13 टी के तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 20 पं.नं. 130/295 में 3.162 है. बारानी भूमि में 122/1581 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में था और रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 के पति/ पिता जगतपाल द्वारा अपनी उक्त भूमि में से 0.035 है. बारानी भूमि जरिये बैयनामा 27.05.2021 को मुझ अपीलांट संतरो देवी को विक्रय की और कब्जा उसी रोज मुझ अपीलांट को दिया गया। उक्त कय शुद्वा भूमि का इन्तकाल दर्ज करवाने करवाने हेतु बैयनामा की फोटों पटवारी हल्का को अभियान में दी, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा मुझ अपीलांट के पक्ष में बैयनामा भूमि का इन्तकाल दर्ज न करके उक्त समस्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल जगतपाल के वारिसान भूमि का इन्तकाल दर्ज न करे उक्त समस्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल जगतपाल के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 के पक्ष में विरास्तन इन्तकाल दिनांक 05.12.2022 को राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज किया गया। मुझ अपीलांट को इस नामान्तरण की जानकारी पटवारी हल्का से मिलने पर हुई उनके [illegible] गया कि मैंने तो समस्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल जगतपाल के वारिसान के नाम [illegible] है इस पर मैंने उक्त नामान्तरण की जानकारी होने पर [illegible] के नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 18.09.2023 को प्राप्त करके उक्त [illegible] इन्तकाल संख्या 5 दिनांक 05.12.2022 से व्यथित होकर उक्त विरास्तन [illegible] निरस्त करवाने के लिए निम्न आधारों पर अपील अपीलांट प्रस्तुत की है।

1. अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 5 दिनांक 05.12.2022 [illegible]त, अवैध, त्रूटिपूर्ण, विधि[illegible] प्रावधानों व प्रकिया व दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने व न्यायिक दृष्टांतो

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 17:44:26 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तों के विपरित होने के कारण काबिल निरस्ती है और विवादित रकबा का विरास्तन इन्तकाल नामान्तरण बहिस्सा बराबर–2 रेस्पोडेन्ट के पक्ष में स्वीकृत किया गया है उसकों निरस्त करवाकर अपीलांट अपनी खरीद शुद्वा भूमि का व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 विरास्तन भूमि का विरास्तन नामान्तरण करवाने के विधिक अधिकारी है।

2. अपीलांट ने जरिये रजिस्टी बैयनामा दिनांक 27.05.2021 को चक 13 टीके का खाता संख्या 93 पं.नं. 130/295 मु.नं. 20 में कुल खाता योग 3.162 है. बारानी भूमि जगतपाल पुत्र काशीराम ने अपने हिस्सा 122/1581 भूमि में से 0.035 है. बारानी भूमि खरीद की और उसी रोजज कब्जा प्राप्त कर लिया। उक्त रकबा का नामान्तरण करवाने के लिए अपीलांट ने बैयनामा की कॉपी पटवारी हल्का को अभियान में प्रस्तुत की लेकिन सरपंच के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर नामान्तरण दिनांक 05.12.2022 को करवाया जो अशुद्व व अनियमित व विधि के प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं

3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 6 के पति/पिता द्वारा अपने जीवनकाल में अपने हिस्सा की भूमि में से 0.035 है. बारानी भूमि जरिये बैयनामा विक्रय की हुई है और कब्जा मौका पर अपीलांट का है फिर भी सरपंच/पटवारी द्वारा बिना जानकारी प्राप्त किये उक्त नामान्तरण दर्ज किया है जो नामान्तरण बिना कानूनी प्रकिया पालना के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।

4. अपीलांट को ग्राम पंचायत के द्वारा विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय कोई नोटिस प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के शपथ पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया गया है जो विधिक प्रकिया के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।

5. उक्त विरास्तन इन्तकाल दर्ज होने के बाद मुझ अपीलांट सरपंच व पटवारी हल्का से मिला और उनकों कहा कि मैने आपको बैयनामा की प्रति पेश की थी और मौका पर उक्त 0.035 है. बारानी भूमि पर कब्जा मुझ अपीलांट का है लेकिन सरपंच व पटवारी हल्का द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रकरण में तीन बातों पर निर्णय पारित करना था प्रथम दृष्टया मामला व अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन पर करना था जो प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में है क्योकि कब्जा काश्त अपीलांट की है और सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में हैं और अपूर्णीय क्षति भी अपीलांट को होगी। क्योकि मुझ अपीलांट ने उक्त 0.035 है. बारानी भूमि रेस्पोडेन्ट के पति/पिता जगतपाल से उसके जीवनकाल में ही जरिये बैयनामा खरीद की हुई है। अपीलाधीन नामान्तकरण को स्वीकृत करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रथम मिटिंग में लिया जाकर दूसरी मिटिंग में स्वीकृत किया जाना आवश्यक प्रावधान है। जिसकी उल्लघना होने के कारण भी अपीलाधीन इन्तकाल निरस्ती योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा मेरी कब्जा शुद्वा एवं खरीद शुद्वा भूमि का नामान्तरण से पूर्व समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तरण इन्तकाल दिनांक 05.12.2022 को दर्ज कर दिया गया जो अवैधानिक व अशुद्व व विधि की पालना के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार रायसिंहनगर के भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है और अन्दर मियाद प्रस्तुत है और पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत जगतसिंहवाला द्वारा विवादित चक [illegible] तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 20 पं.नं. 130/295 में 3.162 है. बारानी भूमि में [illegible] 1581 हिस्सा खातेदारी बारानी भूमि का नामान्तरण प्रस्ताव संख्या 5 दि[illegible] 5.0[illegible]022 को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 6 के पक्ष [illegible] किया गया [illegible] फरमाया जाकर विवादित रकबा का इन्तकाल अ[illegible] के पक्ष में जग[illegible] के हिस्सा की भूमि में 0.035 है. व शेष भूमि रेस्पोडेन्ट [illegible] 2 ता 6 के हक में दर्ज कर स्वीकृत किये जाने का आदेश फरमाया जावे अन्य कोई अनुतोष हो [illegible] बहक अपीलांट व खिलाफ रेस्पोडेन्ट सादिर फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 17:44:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

3. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को तलब किया गया। रेस्पोंडेंट सं. 2 ता 6 को जरिये रजि. सम्मन तलब किये जाने के बाद भी न्यायालय में हाजिर नहीं आये। ग्राम पंचायत झोटावाली द्वारा इस न्यायालय के पत्र क्रमांक रीडर/2025/251 दिनांक 05.03.2025 के कम में ग्राम पंचायत का विरास्तन इन्तकाल के संबंध में बैठक कार्यवाही रजिस्ट्रर पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

4. वकील अपीलांट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलांट अपनी बहस में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत जगतसिंहवाली का इन्तकाल सं. 909 दिनांक 05.12.2022. निरस्त करने हेतु निवेदन किया हैं। वादग्रस्त रकबा पर कब्जा अपीलार्थी का है इसलिए विवादित भूमि का इन्तकाल को सुनने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही होकर तहसीलदार रायसिंहनगर को था। विक्रय की गई भूमि पर विकेता का पंजीबद्व दिनांक से ही अधिकार शून्य है इसलिए उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज नहीं होना चाहिए था अपील धारा राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत विहित परिसीमा काल के पश्चात ग्रहण की जाती है अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 मियाद अधि. मय शपथ पत्र पेश कर जो कथन अंकित किये है उनकों दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में माफ किया जाता है उक्त तथ्यों मो मध्य नजर रखते हुए अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

-:आदेशः-

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर अपील एवं प्राथना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार की जाती हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत झोटावाली के अपीलाधीन आदेश इन्तकाल संख्या 909 दिनांक 05.12.2022 को निरस्त किया जाता है तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता है जमाबंदी संवत 2073-2076 वक 13 टी.के. खाता सं. 93 प.नं. 130/295 का मु.नं. 20 में 3.162 है. बारानी भूमि में से विकेता का हिस्सा 122/1585 में से 0.035 है. भूमि केता अर्थात अपीलांट को विक्रय की गई। नामान्तरण सं. 909 दिनांक 15.11.2022 स्वीकृति दिनांक 05.12.2022 को निरस्त किया जाकर विक्रय पत्र के अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष अंकन यथावत रहेगा। ग्राम पंचायत को मूल रिकार्ड लौटाया जावे।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 17:44:26 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner